

In
The Court of Sub-judge II, Patna City

T.P.S 70/17

CS 34/17

Jaggu Singh

Vrs

Plaintiff

Pappu Singh & Others

Defendant's

20/7/16

वादी की दावा नहीं है। अदालत का अवलोकन कि
अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी बिना कोई निमित्त
से अदालत आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी
को उस वाद में कोई अहमियत नहीं है। अतः वादी का
वाद अदालत में ~~काया~~ किया जाता है।
कारण नियमानुसार अदालत अदालतवादी में जमा की

(स)

S. S. H.
Patna City